(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2912-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 4-7-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 215/14-15/अपील.

1- राजेन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह
2- जसवंत सिंह पुत्र अमर सिंह
3- हरपाल सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह
4- निर्मल सिंह पुत्र जागीर सिंह
5- लाल सिंह पुत्र चरन सिंह
6- सुखजेन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह
अनावेदक क्र. 2 लगायत 5 द्वारा मुख्त्यारआम
राजेन्द्र सिंह पुत्र कृपाल सिंह
निवासीगण ग्राम पचोरा
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
7. हरभाग सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह
8. जगजीत सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह
9. सुरेन्द्सिंह पुत्र दानसिंह
10. गुरूमुखसिंह पुत्र स्व0 श्री इकबालसिंह
11. गुरूदयाल सिंह पुत्र स्व0 श्री इकबाल सिंह
12. प्रीतमसिंह पुत्र स्व0 श्री इकबालसिंह
13. श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी स्व0 श्री इकबाल सिंह
अनावेदक क्रमांक 7 लगायत 13
जर्ये मुख्त्यारआम गुरूदयाल सिंह
पुत्र स्व0 श्री इकबाल सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम रही तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर म0प्र0 ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

2- अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार
जिला ग्वालियर

3- नन्दलाल पुत्र मंघाराम
द्वारा मुख्त्यारआम राजबहादुर सिंह
निवासी ग्राम स्याउ
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर ..... अनावेदकगण

श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक, आवेदकगण.
श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2.

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-7-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 521, 522/74-75/अ-90/बी-3 में पारित आदेश दिनांक 8-7-99 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गईं । राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1257-चार/99, 1258-चार/99 में दिनांक 19-9-2002 को आदेश पारित कर अपीलें निरस्त किये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 2207/2002, 2300/2002 प्रस्तुत की गईं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8-11-2006 को पारित आदेश के अनुक्रम में कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 454/12-13/अपील में दिनांक 20-9-2014 को आदेश पारित कर आवेदकगण का प्रकरण खारिज किया गया । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण एवं अन्य के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4-7-2016 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर, अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के

निर्देशों व उक्त तथ्यों के प्रकाश में विधिसम्मत कार्यवाही की जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तथा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्क दिये गये हैं :-

1. मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील संहिता की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी । अपीली प्राधिकारी के नाते अपर आयुक्त को प्रकरण का निराकरण अंतिम रूप से करना चाहिए था । संहिता की धारा 49 (3) के अनुसार उन्हें अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं थी । अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है ।
2. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन हेतु कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन किया गया जो उन्होंने अनुविभागीय भितरवार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया । जिस पर उन्होंने तहसीलदारों से विवादित भूमियों के विषय में जांच प्रतिवेदन बुलाया गया । तहसीलदारों द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में आवेदकों का अनेक वर्षों पूर्व से कब्जा होना दर्शाया गया तथा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में भूमि समायोजन किया जाना उचित माना है। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त प्रतिवेदनों को अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।
3. यहकि, कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को समझने में त्रुटि की गई है । जांच में आए इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया है कि विवादित भूमियां कृषि भूमियां हैं ।
4. लिखित बहस में कहा गया है कि इस प्रकरण में यह विचारणीय बिंदु है कि क्या न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेशों के निष्कर्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या न्याय के सिद्धांत के रूप में की गई थी?

इस विधिक प्रश्न के विचारणीय बिंदु इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2260/2002 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2006 को समझने में त्रुटि की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय में तीन बिंदुओं को विनिश्चित किया गया है।

I. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के पैरा 6 में यह निर्देश दिया गया है कि क्या विवादित भूमि कृषि भूमि है या नहीं इसकी जांच कर विनिश्चयन किया जाना है।

II. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के पैरा 7 में सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के विषय में विनिश्चयन किया गया है।

III. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के पैरा 8 एवं 9 में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्रियों के विषय में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण के अभिभाषक के इस तर्क में बल है कि व्यवहार न्यायालय की डिक्री आवेदकगण एवं मंगाराम के मध्य समझौते के आधार पर पारित की गई है, जो कि मंघाराम पर निश्चित रूप से बंधनकारी है, शासन पर नहीं, क्योंकि मंघाराम डिक्री में पक्षकार है, शासन पक्षकार नहीं है, इसलिए शासन के हित प्रभावित नहीं होते हैं। इसके उपरांत भी कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित डिक्रियों पर विचार नहीं करने में गंभीर त्रुटि की गई है।

5. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1907 की धारा 11 की उपधारा 2 के अनुसार धारक द्वारा किये गये अंतरण या अंतरणों के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्रियों की भूमि धारक की ही भूमि मानी जायेगी। किसी भी प्रकार का अंतरण केवल सीलिंग प्रयोजनों के लिए ही अस्तित्वहीन माना जायेगा, किंतु अन्य प्रयोजनों के लिए अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता। अर्थात् सिविल न्यायालय की डिक्रियां धारक मंघाराम पर आबद्धकर हैं। इस तर्क के समर्थन में 1972 आर.एन. 476 (उच्च न्यायालय पूर्ण न्यायपीठ) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

6. धारक द्वारा किसी भी प्रकार से अंतरित की गई भूमि को धारक शासन हित में अतिरिक्त घोषित नहीं कर सकता । इस तर्क के समर्थन में 2003 आर.एन. 250 (माननीय उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

7. अधिनियम की धारा 12 के अधीन शासन हित में निहित होने वाली अतिरिक्त भूमि समस्त भारों से मुक्त होना चाहिए। शासन में जो भूमि निहित की जाना है, वह अतिशेष भूमि अतिरिक्त भूमि धारक मंघाराम को दी गई पात्रता में 252 एकड़ भूमि में से ही शासन में निहित की जाना चाहिए। आवेदकगण के हित में सिविल न्यायालयों की

डिक्रियों द्वारा जो भूमि आवेदकगण के स्वत्व की मानी गई है, उसमें से शासन में निहित नहीं की जाना चाहिए।

8. आवेदकगण की भूमि को छोड़कर धारक की पात्रता में से शासन में निहित होने वाली भूमि का रकबा 808.176 एकड़ प्रभावित नहीं होगा अर्थात् शासन में इतना रकबा निहित होगा ही। प्रश्न केवल इतना है कि आवेदकगण की भूमि में से निहित किया जाये या धारक को दी गई पात्रता में से निहित किया जाये।
9. अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि कलेक्टर ने केवल उन आवेदकगण को ही सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया है, जिन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, अन्य को नहीं, इसलिए अन्य आवेदकगण सुनवाई से वंचित रहे हैं। इसके बावजूद भी आवेदकगण एवं अन्य याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के निर्देश नहीं देने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है।
10. कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा 8 एवं 9 पर विचार ही नहीं किया गया है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त कर एवं सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्रियों के अनुसार जितनी भूमियां आवेदकगण के स्वत: स्वामित्व एवं आधिपत्य की घोषित की गई है, वह भूमि शासन में निहित न करते हुए अनावेदक क्र. 3 की पात्रता की भूमि 252 एकड़ में समायोजित कर अनावेदक क्र. 3 की पात्रता की भूमि 252 एकड़ में से अतिशेष घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 शासन की ओर से विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों व तथ्यों के प्रकाश में विधि सम्मत कार्यवाही किऐ जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 3 प्रकरण में पूर्व से एकपक्षीय है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि कलेक्टर द्वारा सभी याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं देकर केवल उन्हीं

याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया गया है, जिन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं और उक्त आधार पर उन्होंने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है । न्यायिक दृष्टि से अपर आयुक्त का आदेश अपने स्थान पर उचित है परंतु प्रत्यावर्तन आदेश पारित करने के पूर्व उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भू-राजस्व संहिता, (संशोधन) अधिनियम, 2011 के तहत धारा 49 (3) के परंतुक अनुसार अपीली प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को मामले को निपटाने के लिए प्रेतिप्रेषित नहीं करेगा । उक्त प्रावधान के अनुसार अपर आयुक्त को स्वयं प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को आवेदकगण द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में दिये गये आधारों तथा आवेदकगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2207/2002 एवं 2300/2002 में पारित आदेश दिनांक 8-11-06 के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार न्यायालय की डिक्रियों के संबंध में उठाये गये तर्कों एवं उद्धरित न्यायदृष्टांतों तथा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

परिणामतः अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 215/14-15/अपील में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04-7-2016 निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अपर आयुक्त को उपरोक्त विवेचना के पारिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर